(61)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डॉ0मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3814–तीन/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 05–11–15– पारित व्दारा अति0तहसीलदार,मल्हारगढ़ जिला मंदसौर – प्रकरण कमांक 17 अ–6/2014–15

सुनील कुमार पुत्र बसंतकुमार पोरवाल
ग्राम पिपल्या मंडल तहसील मल्हारगढ़
जिला मंदसौर, म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

1– पप्पुसिंह पुत्र भुवानी सिंह
ग्राम पिपल्या मंडल तहसील मल्हारगढ़

2– शमशाद बी बेवा हुसैन खॉ पठान
ग्राम बुड़ा तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर

3– शौकिन खॉ पुत्र बशीरखान पठान
ग्राम बुड़ा तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर ---- अनावेदकगण

(श्री दिनेश व्यास अभिभाषक – आवेदक)

आ दे श

(दिनांक 30 दिसम्बर, 2015)

अति0 तहसीलदार, मल्हारगढ़ जिला मंदसौर के प्रकरण कमांक 17 अ–6/2014–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5–11–15 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का सारॉश यह है कि अतिरिक्त तहसीलदार मल्हारगढ़ जिला मंदसौर के न्यायालय में प्रचलित नामान्तरण प्रकरण

क्रमांक 17 अ-6/2014-15 में कार्यवाही प्रचलित हुई। दिनांक 28-9-2015 को आवेदक ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया। अतिरिक्त तहसीलदार मल्हारगढ़ ने उभय पक्ष को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 5-11-15 पारित किया तथा आवेदक का आपत्ति आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अतिरिक्त तहसीलदार ने आवेदक व्दारा सॅशोधन आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों को समझे बिना आवेदन निरस्त किया है। आपत्ति आवेदन में वर्णित दो बिन्दुओं से आपत्ति के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। भू राजस्व संहिता में संशोधन करने का प्रावधान न होने से आपत्तिकर्ता ने सी0पी0सी0 के अंतर्गत आवेदन दिया है प्रकरण में सॅशोधन किसी भी स्टेज पर उठाया जा सकता है और वास्तविक सॅशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिये, परन्तु अति. तहसीलदार ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत प्रस्तुत आपत्ति आवेदन को समझे बिना निरस्त करने में त्रृटि की है उन्होंने निगरानी ग्राह्य करने का निवेदन किया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत प्रस्तुत आपत्ति आवेदन व्दारा आवेदक ने पूर्व में प्रस्तुत आपत्ति आवेदन में सॅशोधन जोड़ने की अनुमति मांगी है कि प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय पत्र ग्राम बूढ़ा के

आबादी क्षेत्र का होने से अति.तहसीलदार को नामांत्रण का अधिकार नहीं है। विक्रय पत्र में सर्वे नंबर न लिखा होने से भूमि की पहचान न होने ने आवेदक का नामान्तरण आवेदन निरस्त किया जाय। अति. तहसीलदार मल्हारगढ़ ने दोनों पक्षों को आपत्ति आवेदन पर सुना है तथा अंतरिम आदेश दि. 5-11-15 में निष्कर्ष दिया है कि आपत्ति आवेदन के पृष्ठ कमांक-2 के पैराग्राफ 5 में यह उल्लेखित किया है कि कथित विक्रय पत्र मेंकोई सर्वे कमांक भी नहीं लिखा है इसलिये भी ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षी कमांक 1 (प्रार्थी) को नामान्तरण कराने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में आपत्तिकर्ता की ओर से प्रस्तावित सॅशोधन को जोड़ने की अनुमति दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। इसके अतिरिक्त अपर तहसीलदार ने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि " आपत्ति पत्र में प्रस्तावित दूसरा सॅशोधन कि इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है यह बिन्दु आपत्तिकर्ता अपनी बहस में भी उठा सकता है , इसके लिये मूल आपत्ति आवेदन पत्र में जोड़ने की आवश्यकता नहीं पाई जाती है।'' इस प्रकार स्पष्ट है कि अति0 तहसीलदार ने सॅशोधित आपत्ति आवेदन पत्र पर पूर्ण विचार किया है तथा ऐसा प्रकट नहीं होता है कि सॅशोधित आपत्ति आवेदन पत्र को अस्वीकृत करने से उसमें उल्लिखित किन्हीं बिन्दुओं को अधीनस्थ न्यायालय ने विचार में नहीं लिया गया। उक्त आधार पर अति0 तहसीलदार के आदेश दिनांक 5-11-15 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है। अतएव निगरानी सारहीन पाये जाने ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर